तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
11-12-17	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष सत्यवती देवी की परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया तथा गवाही को मुक्त किया गया। प्रथम पक्ष गवाही बन्द की जाती है। प्रथम पक्ष की ओर से न्यायालय में एक आवेदन दिया गया कि उक्त वाद में समय सीमा 16-12-17 को समाप्त हो रहा है अतः वाद में एक माह का अवधि विस्तार करने का मांग किया गया है। प्रथम पक्ष के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। दिनांक 18-12-17 को पेश। 11/12/17
18-12-17	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है

पेश कार G.N. Sinha 10.0.17 E
Bindu, Ranchi

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	
	अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद मे अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है। ह० 18/12/15	